



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042026-271548
CG-DL-E-03042026-271548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1626]
No. 1626]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(एसईजेड अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1691(अ).—यतः, मै० श्यामाराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य के कुंडलहल्ली गांव, कृष्णराजपुरम, हुबली, बेंगलोर पूर्वी तालुक, बेंगलोर जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
(i).	का.आ.1771(अ)	16.10.2006	21.76	-	21.76

(ii).	का.आ.1852(अ)	11.07.2014	-	8.56	13.20
(iii)	का.आ.4237(अ)	19.09.2025	-	3.40	9.80

और यतः, मै० श्यामाराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 6.28 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 171 एसपीआई 2023 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 6.28 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में एतद्वारा 6.28 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 3.52 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	44/4	0.310
2.	45/2	0.084
3.	49/1	0.488
4.	49/2	0.787
5.	50/2	0.653
6.	57पी	0.173
7.	95	0.119
8.	96	1.496
9.	97/1	0.172
10.	97/2	0.182
11.	97/3	0.152
12.	100/1	0.142
13.	100/2	0.142
14.	100/3	0.162
15.	136	0.752
16.	137	0.474
कुल		6.28
उपर्युक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		3.52

[फा.स. एफ.2/120/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1691(E).— Whereas, M/s Shyamaraju & Company (India) Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereinafter referred to as the Act, to set up a Sector Specific SEZ for Information Technology/Information Technology Enabled Services at Kundalahalli Village, Krishnarajapuram, Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore District in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	De-Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i).	S.O. 1771(E)	16.10.2006	21.76	-	21.76
(ii).	S.O. 1852(E)	11.07.2014	-	8.56	13.20
(iii).	S.O. 4237(E)	19.09.2025	-	3.40	9.80

AND, WHEREAS, M/s Shyamaraju & Company (India) Private Limited has now proposed for de-notification of 6.28 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 171 SPI 2023 dated 17th December, 2025. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized for creation of infrastructure which would sub serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will conform to Land Use Guidelines/master plans of the respective State Government.

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for decrease in area of 6.28 hectare at the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 6.28 hectare at above special economic zone, thereby making the resultant notified area as 3.52 hectares. The Survey numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

S. No.	Village	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Kundalahalli	44/4	0.310
2.		45/2	0.084
3.		49/1	0.488
4.		49/2	0.787
5.		50/2	0.653
6.		57P	0.173
7.		95	0.119
8.		96	1.496
9.		97/1	0.172
10.		97/2	0.182
11.		97/3	0.152
12.		100/1	0.142

13.		100/2	0.142
14.		100/3	0.162
15.		136	0.752
16.		137	0.474
		Total	6.28
		Grand Total Area of SEZ after above deletion	3.52

[F. No. F. 2/120/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.